19/4/20 PG. Sem II (1)

Date __/__/__

अपेक्षा प्राणीशास्त्रीय पक्ष की प्रधानता रहती है। यह सम्बन्ध माता-पिता का उसके बच्चों के बीच अथवा भाई-बहनों में आपस में होता है।

प्रो० लावी ने स्पष्ट किया है कि यद्यपि रक्त सम्बन्धी नातेदारी में प्राणीशास्त्रीय पक्ष की प्रधानता होती है फिर भी सामाजिक मान्यता आवश्यक है। जब तक समाज रक्त सम्बन्धों को मान्यता नहीं देता है तब तक उन्हें समान रक्त सम्बन्धी नहीं कहा जा सकता है। समाज को यह अधिकार है कि वह इस प्रकार के किसी भी सम्बन्ध अमान्य करार कर सकता है। आदिवासी समाजों में कई प्रकार की प्रथाएँ देखने को मिलती है जिन में पिता जब तक सामाजिक औपचारिकता का निर्वाह नहीं कर लेता है तब तक उसे पुत्र का पिता नहीं माना जाता है। इसी प्रकार टोडा जनजाति में किसी पति को बच्चे का पिता तब तक नहीं माना जाता है जब तक की वह सामाजिक मान्यता प्राप्त नहीं कर लेता है। टोडा जनजाति में अनेक भाईयों की पत्नी एक ही होती है उनमें से कोई भी पत्नी से उत्पन्न बच्चे का पिता बन सकता है इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि रक्त सम्बन्धी नातेदारी के लिए प्राणीशास्त्रीय आधारों के साथ-साथ सामाजिक मान्यता का होना भी अनिवार्य है।

iii. कल्पित नातेदारी :— यह उल्लेखनीय है कि समान रक्त सम्बन्धी नातेदारी के आधार के लिए प्राणीशास्त्रीय संबंध का होना सदैव आवश्यक नहीं है यदि समाज संस्कृति स्वीकृति दे देता है तो कल्पित काल्पनिक संबंध भी वास्तविक संबंधों की तरह ही माने जाने लगते है। गोद लेने की प्रथा इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। जिस व्यक्ति को गोद लिया जाता है उसके प्रति जैविक रूप से उत्पन्न संतान की तरह ही व्यवहार किया जाता है। झारखण्ड के जनजातिय समाज में निसंतान दम्पति द्वारा गोद लिए जाने तथा उन संतानों के पालन-पोषण का प्रचलन

Page No.

Date __/__/__ (5)

देखने को मिलता है।

नातेदारी का महत्व

सामाजिक जीवन में नातेदारी व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्थान है। यह जनजातिय सामाजिक जीवन एवं संगठन की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। फर्थ ने ठीक ही कहा है कि नातेदारी एक ऐसा दृढ़ है जिस पर एक व्यक्ति जीवन भर निर्भर रहता है। नातेदारी व्यवस्था अनेक स्थितियों में मानव व्यवहार को नियंत्रित करती है। किसी भी प्रकार की सामाजिक संरचना को समझने में नातेदारी का अध्ययन जरूरी हो जाता है। इस प्रकार नातेदारी की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों का उल्लेख किया जा सकता है :—

1. **विवाह तथा परिवार का आधार** :— नातेदारी के आधार पर ही जनजातिय समाज में विवाह सम्बन्धी नियम, विवाह सम्बन्धी निषेध, मान्यता आदि निश्चित किये जाते है। परिवार में विवाह एवं रक्त संबंध पर आधारित सदस्य ही होते है। अतः परिवार के विस्तार का अर्थ होता है नातेदारी का विस्तार।

2. **वंश उत्तराधिकार तथा वंशाधिकार का निर्धारण** :— परिवार, वंश, गोत्र आदि नातेदारी के ही विस्तृत रूप है। नातेदारी के आधार पर दायित्व का निर्धारण होता है। यह भी निश्चित होता है कि सम्पत्ति का हस्तांतरण किन-किन लोगों में होगा, कौन-कौन उसके दावेदार हो सकते है।

3. **सामाजिक तथा आर्थिक दायित्व का निर्धारण** :— नातेदारी व्यवस्था ही यह निश्चित करता है कि सामाजिक व्यवस्था में किसी खास स्थिति में पिता का दायित्व अधिक है अथवा मामा का या फुआ का। मुरडॉक के अनुसार :— " नातेदारी समूह एक व्यक्ति नहीं बल्कि द्वितीयक रक्षापंक्ति का प्रतिनिधित्व करते है। जब कोई व्यक्ति संकट में होता है और उसे आर्थिक तथा सामाजिक दायित्वों

Page No.